न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय, सांगानेर

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल सिंह (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः– 4/2018
निर्णय तिथिः– 04.01.2024

1. ग्यारसा पुत्र रामदेव जाति मालि निवासी– ग्राम सांगानेर जिला जयपुर (मृतक)
   1/1 फूला पुत्री स्व0 ग्यारसा पत्नी चौथू जाति माली निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   1/2 नौरती देवी पुत्र स्व0 ग्यारसा पत्नी गोपाल जाति माली निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
   1/3 मु0 कानी देवी स्व0 ग्यारसा जाति माली निवासी ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर (मृतक)
2. हनुमान प्रसाद सैनी पुत्र स्व0 श्री लच्छूराम सैनी जाति, माली, निवासी 17 बजरंग नर्सरी के पास, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर।
3. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री हनुमान प्रसाद सैनी जाति, माली, निवासी 17 बजरंग नर्सरी के पास, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर।

–वादीगण

बनाम

रामस्वरूप पुत्र कल्याण (फौत)
1/1 गोपी देवी पत्नी स्व0 रामस्वरूप
1/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रामस्वरूप
1/3 सीताराम पुत्र स्व0 रामस्वरूप
1/4 नवरत्न पुत्र स्व0 रामस्वरूप
1/5 कान्ता पुत्री स्व0 रामस्वरूप
1/5 उषा पुत्री स्व0 रामस्वरूप
जातियान माली निवासी ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. चन्दू पुत्र कल्याण
3. रामनारायण पुत्र कल्याण
4. जगदीश पुत्र कल्याण
5. गुल्ली बेवा कल्याण
जातियान माली निवासी ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

———प्रतिवादीगण

<u>वाद इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा</u>
<u>प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0</u>
<u>निर्णय</u>

वादी ने वाद पत्र बाबत वाद इस्तकरारहक व स्थायी [illegible] का पेश किया जिसमें प्रार्थी/प्रतिवावादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आ[illegible] 7 [illegible] 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश हुआ। जिसका सक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार [illegible] वादी ने दावा अन्तर्गत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है। [illegible]गण / प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि [illegible] वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ग्यारसा द्वारा हस्तगत वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार हक प्रस्तुत कर यह अभिकथन वर्णित किये है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता कल्याण आपस में सगे भाई है। ग्राम सामोद स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 530 व 532 कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा एवं हाल खसरा नम्बर 3666, 3667 व 3668 कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जिसमे वादी का 1/2 एवं प्रतिवादीगण के पिता कल्याण का 1/2 भाग है। लेकिन सैटलमेंट ने बिना इकरार व बिना किसी सूचना के समस्त भूमि का इन्द्राज अकेले प्रतिवादीगण के पिता कल्याण के नाम अंकित कर दिया था, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण के पिता कल्याण ने अपने जीवनकाल में कभी नियत नहीं बिगाड़ी व दोनों भाईयों का अधिकार मानते हुए उसने वादी के हक में एक लेख दिनांक 08 अगस्त 1972 ईस्वी को लिख दिया था। इसके अलावा पूर्व में मुकदमा अर्बन सीलिंग में भी इस भूमि को पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता कल्याण को छूट दी है व कल्याण व ग्यारसा को समान अधिकार माना है। वादी ने अंत में यह अनुतोष चाहा कि विवादित भूमि में उसको 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में जिस लेखपत्र दिनांकित 08 अगस्त 1972 का हवाला दिया गया है, वह लेख पत्र ना होकर एक इकरारनामा है, जो कि पी डब्ल्यू-4 फूला देवी द्वारा अपनी साक्ष्य में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी-2 प्रदर्शित करवाया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह दस्तावेज लेख पत्र ना होकर एक विक्रय इकरारनामा है, जिसमे वादी ने उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता कल्याण द्वारा 999/- रूपये में विक्रय करना अंकित किया है। उक्त लेखपत्र / इकरारनामा दिनांक 08 अगस्त 1972 ही एकमात्र दस्तावेज है, जिसके आधार पर वादीगण अपने हक में 1/2 हिस्से की घोषणा का अनुतोष श्रीमान न्यायालय से मांग रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो में यह स्पष्ट वर्णित है कि इकरारनामे के आधार पर कोई घोषणा का अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा नही दिया जा सकता है। इकरारनामे के आधार पर वाद मात्र दीवानी न्यायालय के समक्ष ही किया जा सकता है तथा धारा 207 के तहत ऐसे वाद हेतु राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। उक्त तथ्यो को माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी कई न्यायिक दृष्टान्तो में प्रतिपादित किया है। इस प्रकार वादीगण का वाद-पत्र विधि द्वारा वर्जित एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अपने वाद-पत्र में स्पष्ट अभिवचन वर्णित नहीं किये है तथा चलेवर ड्राफ्टिंग करते हुए इकरारनामे को वाद-पत्र में लेखपत्र अंकित किया है ताकि इस आधार पर वाद खारिज ना हो। लेकिन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय द्वारा वाद पत्र के साथ ही वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन भी किया जा सकता है। प्रदर्श पी-2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह एक लेखपत्र ना होकर एक इकरारनामा है। आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रार्थना पत्र किसी भी स्टेज पर यानि इजराय की स्टेज पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है इसके अलावा स्वयं न्यायालय भी उक्त बिन्दु को किसी भी स्तर पर [illegible] सकती है। क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री [illegible] प्रभावशून्य ही कानूनन मानी जाती है। इस प्रकार हस्तगत [illegible] श्रेणी में आता है, जिसमे अंततः भी वादी को किसी [illegible] नहीं हो सकता है। वादी द्वारा हस्तगत वाद सन् 1994 से ही चला रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिवादीगण को अनाकरण ही हैरान व परेशान किया है, जिस हेतु भी प्रतिवादीगण विशेष हर्जे पेटे वादीगण से 10,000/- रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा वादीगण का हस्तगत वाद विधि द्वारा वर्जित एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकर मे ना होने के आधार पर खारिज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी का पेश हुआ। जिसका शूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे के माध्यम से प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त आपत्तियॉ न्यायालय के समक्ष उठाई है जिसके सम्बन्ध में न्यायालय ने विवाधक विरचित किये गये है तथा प्रकरण में वादी साक्ष्य भी पूर्व हो चुकी है परन्तु प्रतिवादीगण साक्ष्य में विलम्ब करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी/वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण में पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 जाप्त दीवानी पेश किया है विधि अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी निस्तारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 निस्तारित किया जाना आज्ञात्मक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे उभयपक्षों अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया है कि वादी घोषणा दावा पेश किया है ग्यारसा व कल्याण रिश्ते में भाई है। विवादित भूमि पैतृक है। जिसमें ग्यारसा का 1/2 हिस्सा व कल्याण का 1/2 हिस्सा है सेटलमेन्ट के समय अकेले कल्याण के नाम गलत कर दी है । दिनाकं 08.08.1972 का लेख उभयपक्ष की सहमति बताई गयी है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी हेतु दावा का अवलोकन किया जावे। ऐसे दावे इकरारनामा के आधार पर घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है। यधपि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी साक्ष्य पर पेश की है उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी स्टेज पर पेश किया जा सकता हैं। बोगस दावा हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार की जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के समर्थन में निम्न नजीरे पेश की है:-

1. मननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर अपील डिक्री 12603/04 (दौसा) जगदशी नारायण बनाम राधेश्याम निर्णय दिनांक 14.01.2009 आर0बी0जे0 (16) 2009
2. मननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर निर्णय दिनांक 05.03.1992 हरीश चन्द बनाम राजाराम आर0बी0डी0 (421) 1992
3. मननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर निर्णय दिनांक 22.09.1987 ... बनाम श्रीमती कस्तूरी आर0आर0डी0 1987
4. ए.आई.आर. 1954 एस.सी. पेज 340 वी.01.41 ... 82 ... 14 april 1954 करणसिंह व अन्य बनाम चमन पासवान

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:51:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय आर.आर.डी. 1975 दुर्गादान बनाम देवीदान निर्णय दिनांक 10.06.1974

अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ निवेदन किया है कि प्रकरण दावे मे वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेण्डिग है। पहले निर्णित किया। इतने समय वाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश की गई है। दोनो लेख पत्र व नक्शा पेश किया उसके आधार पर काबिज है इसलिये प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जावे। अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन मे माननीय उच्च न्यायालय की आर.एल.आर. 1993(2) पेज 472 अरूण कुमार सैनी बनाम श्रीमती रामदुलारी व अन्य पेश की है।

पत्रावली दावा, राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात, प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अप्रार्थी का जवाब आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आधोपान्त अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस का सगौर मनन करने पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि वादी ने वाद पत्र में इकरारनामा दिनांक 08.08.1972 के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। किसी भूमि के बाबत् उसे खरीदने के इकरार मात्र से खरीददार भूमि का खातेदार नही बन सकता क्योंकि उक्त इकरारनामे के पश्चात् यदि राजस्व विक्रय पत्र (बयान) एक्जेक्यूट नही हुआ हो तो खरीददार उक्त इकरारनामे के आधार पर इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इकरारनामें के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नही है। लेकिन केवल इकरारनामें के आधार पर न तो खरीददार का नाम अन्य प्रक्रिया द्वारा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो सकता है और न ही उसे उक्त भूमि को आगे बेचान करने का अधिकार है इसलिए इकरारनामे के आधार पर राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये दावा चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का दावा बाबत् घोषणा आराजीगत खसरा नम्बर 530 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 532 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 3655 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 3658 रकबा 0.11 कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर को खारिज किया जाता है इसी अनुरूप पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal S
Date: 2024.02.07 15:51:40 IS
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर